संख्या-12/2020/195/46-1-2020-20(03)/2019

प्रेषक,

सुशील कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 19 मार्च, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत कार्ययोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपने पत्र संख्या-109/लेखा-बजट/, दिनांक 17-01-2020 एवं निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर के पत्र संख्या-5609-10/निर्माण/2019-20, दिनांक 27 जनवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शाहजहॉपुर संस्थान पर पुरानी ओवर हेड विद्युत लाइन के बलाव एवं बंच कंडक्टर तथा कटया सादात के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के विद्युतीकरण कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत 'आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत' एवं 'विविध एवं अन्य आकस्मिक व्यय' मद में संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से कराने हेतु, उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन/आगणन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्राविधानों के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

(1) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को कराने हेतु, कार्य के सम्मुख निर्दिष्ट कार्यदायी संस्था होगी तथा उन्हें वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2011-17(4)/75, 11.11.2014 की व्यवस्थानुसार सेंटेज चार्जेज (यथा निर्दिष्ट दर से) की धनराशि अनुमन्य होगी।

(2) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को मानक के अनुसार पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समस्त कर्य वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पूर्व अर्थात दिनांक 31.03.2020 के पूर्व, पूर्ण कराते हुए स्थानीय निरीक्षण आख्या सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गन्ना आयुक्त,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

उ.प्र. के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संलग्नक में उल्लिखित समस्त कार्यों को, निविदा एवं निर्माण सम्बन्धी सुसंगत नियमों/शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण कराये जाने/नियमित अनुश्रवण किये जाने का दायित्व, निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर का होगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-12/2020/195(1)/46-1-2020-20(03)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
3. मुख्य अभियंता, अभियंत्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-12/2020/195/46-1-2020-20(03)/2019, दिनांक 19 मार्च, 2020 का संलग्नक

(धनराशि रू. लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत के आधार पर (लाख रू. में)	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4
	कटया सादात		
1	कार्यालय भवन का विद्युतीकरण	2.02	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गाजीपुर।
2	टाइप-3 का एक, टाइप-2 के 6 आवासों का विद्युतीकरण	0.75 3.30	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गाजीपुर।
	योग-	6.07	
3	शाहजहॉपुर संस्थान पर पुरानी ओवर हेड विद्युत लाइन के बदलाव, विस्तार एवं बंच कण्डक्टर	35.085	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, शाहजहॉपुर
	महायोग-	41.155	

(रूपये इकतालीस लाख पन्द्रह हजार पॉच सौ मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है